रचित कच्छावा बने बजरंग मंडल अध्यक्ष

अजमेर , (कास)। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अजमेर के जिला निर्वाचन अधिकारी प्रसन्चन्द मेहता ने सर्व सहमति से 7 मंडलों के अध्यक्षों को निर्वाचित किया। रचित कच्छावा की शुरुआत बजरंग दल से हुई थी जो बजरंग दल के प्रखंड संयोजक से महानगर सहसंयोजक रहते हुए,अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर सहमंत्री व छात्रसंघ अध्यक्ष राजकीय विधि महाविद्यालय रहे,इसके बाद युवा मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य भीलवाड़ा के जिला संगठन प्रभारी रहे।

NAME CHANGE

I, SRI SHAMRAO Father of Army No JC-773838X Rank:-SUB Name:- MOHAN BHAUSAHEB SHAMRAO Residing at Vill:-PANAV (KH) Post:- CHANDGAON, Teh:- VAIJAPUR, Dist:- CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR, State:- MAHARASHTRA Pin:-423701 have change my Name from SRI SHAMRAO to SHAMRAO KARBHARI MOHAN Vide affidavit No. BW 937787 Dated 08/01/2025 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, MOHAN TAHNUBAI S Mother of Army No JC-773838X Rank:-SUB Name:- MOHAN BHAUSAHEB SHAMRAO Residing at Vill:-PANAV (KH) Post:-CHANDGAON, Teh:- VAIJAPUR, Dist:- CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR, State:- MAHARASHTRA Pin:-423701 have change my Name from MOHAN TAHNUBAI S to TANHUBAI SHAMRAO MOHAN Vide affidavit No. BW 937788 Dated 08/01/2025 before Court campus Nasirabad

आम सूचना

सूचित किया जाता है कि मैं मेरे पक्षकार श्री मुकेश पुत्र स्व. श्री धन्ना निवासी ग्राम बूबानी तहसील व जिला अजमेर की ओर से सूचित करता हूं कि मेरे पक्षकार के पक्ष मे उनकी माताजी श्रीमती छोटी देवी द्वारा दिनांक 19.12.2013 को एक वसीयत निष्पादित की गई है जो कि ग्राम बूबानी के खसरा सं. 2831, 3830, 2023, 126, 2804/3348, 2805, 2806, 2827, 416, 417, 2815 के सम्पूर्ण हिस्से की वसीयत मेरे पक्षकार के पक्ष में निष्पादित की गई है तथा मेरे द्वारा उक्त वर्णित खसरो का बैचान किया जा रहा है यदि किसी भी व्यक्ति को कोई उज्र एतराज व आपत्ति हो तो प्रकाशन की दिनांक से आगामी 7 दिवस मे अपनी आपत्ति दर्ज करे। गुजरने बाद मियाद किसी भी प्रकार की आपत्ति स्वीकार नही होगी।

अजमेर — कपिल रोहिल्ला
दिनांक: 8-1-25 — एडवोकेट

NAME CHANGE

I, KRISHNA Son of Army No JC-773838X Rank:-SUB Name:- MOHAN BHAUSAHEB SHAMRAO Residing at Vill:-PANAV (KH) Post:-CHANDGAON, Teh:- VAIJAPUR, Dist:- CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR, State:- MAHARASHTRA Pin:-423701 have change my Name from KRISHNA to KRISHNA BHAUSAHEB MOHAN Vide affidavit No. BW 937790 Dated 08/01/2025 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, Army No 6947458W Rank:-HAV Name:- AKUMALLA VEERA KUMAR Residing at Vill:- 2-4-92, KOTA GADDA STREET, GIDDALUR, Post:- GIDDALUR, Teh:- GIDDALUR, Dist:- PRAKASAM, State:-ANDHRA PRADESH Pin:- 523357 have change my Son's Name from AKUMALLA VEERA JAI AKIL to AKUMALLA VEERA JAI AKHIL Vide affidavit No. BW 937770 Dated 08/01/2025 before Court campus Nasirabad

NAME CHANGE

I, Army No JC-773838X Rank:-SUB Name:- MOHAN BHAUSAHEB SHAMRAO Residing at Vill:- PANAV (KH) Post:- CHANDGAON, Teh:- VAIJAPUR, Dist:- CHHATRAPATI SAMBHAJINAGAR, State:-MAHARASHTRA Pin:- 423701 have change my Daughter's Name from SAKSHI to SAKSHI BHAUSAHEB MOHAN Vide affidavit No. BW 937789 Dated 08/01/2025 before Court campus Nasirabad

धूमधाम से मनाया जाएगा भीलवाड़ा महोत्सव-2025

- 7 से 9 फरवरी तक होगा आयोजन
- जिला कलक्टर की अध्यक्षता में बैठक का हुआ आयोजन

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा महोत्सव 7 से 9 फरवरी को धूमधाम से मनाया जाएगा। महोत्सव की तैयारियों को लेकर बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलक्टर मेहता ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों तथा आयोजन समिति के सदस्यों से तैयारियों पर चर्चा की। मेहता ने बताया कि मेले के आयोजन को लेकर अलग-अलग कमेटियां बनाकर महोत्सव की तैयारियां की जायेगी।

जिला कलक्टर मेहता ने बताया कि भीलवाड़ा महोत्सव के साथ ही उद्योग एवं व्यापार मेला आयोजित किया जाएगा। शोभा यात्रा, स्टार नाईट समेत होगी रंगारंग कार्यक्रम - भीलवाड़ा महोत्सव के दौरान शोभा यात्रा, फूड फेस्टिवल, लोक नृत्य, स्टार नाईट म्युजिक फेस्टिवल, बुक फेयर, काईट फ्लाईंग, फ्लोरल शो, पेट शो, लोकल टेलेन्ट हंट - गायन, वादन, नृत्यन, मिमिकि, स्टेण्डअप कॉमेडी ,खेल प्रतियोगिताएं जैसे कुश्ती, क्रिकेट एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। होगी एडवेन्चर एक्टीविटीज - एडवेन्चर एक्टीविटीज जैसे हॉट एयर बलून, जिप लाईन, वॉल क्लाईम्बिंग व साईकिल रेस, आर्ट एग्जीबिशन आर्ट फेस्ट, इको वाक-इको वाच-बर्ड वाच, लोक रंग प्रतियोगिताएं, पेंटिंग, माण्डना, रंगोली, मेंहदी, खाना खजाना, साफा-मूंछ प्रतियोगिता, चेयर, मटकी, चम्मच दौड़, रस्साकस्सी एवं अन्य प्रतियोगिताएं भी होंगी। इसके पश्चात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला कलक्टर नमित मेहता ने कहा कि भीलवाड़ा महोत्सव-2025 को एक व्यापक और आकर्षक आयोजन बनाने के लिए, हम विभिन्न सांस्कृतिक, खेल और मनोरंजन गतिविधियों को इसमें शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि इस महोत्सव में भीलवाड़ा जिले के सभी आमजन शामिल हो सकें और इसका आनंद ले सकें। हम चाहते हैं कि यह महोत्सव एक अच्छा सांस्कृतिक आयोजन हो, जो लोगों को अपनी संस्कृति और परंपराओं से जोड़े और उन्हें मनोरंजन का अवसर प्रदान करे। उपखंड स्तर पर भी होंगे आयोजन - भीलवाड़ा महोत्सव को और भी भव्य और आकर्षक बनाने के लिए, जिले के सभी उपखंडों में स्थित दर्शनीय स्थलों और धार्मिक स्थलों पर विशेष रोशनी और आयोजन किए जाएंगे।

स्थानीय लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, इस बार महोत्सव के आयोजन उपखंड स्तर पर भी किए जाएंगे, ताकि हर कोई अपने निकटतम स्थल पर ही आयोजनों का आनंद ले सके। इसके अलावा, इस बार महोत्सव में खेल आयोजनों को भी शामिल किया जाएगा, जिनमें कबड्डी, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, और बैडमिंटन जैसे खेल शामिल होंगे। ये आयोजन न केवल स्थानीय युवाओं को प्रतिस्पर्धा का मौका देंगे, बल्कि महोत्सव को और भी रोमांचक बनाएंगे। इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिनमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल आयोजन, संगीत और नृत्य प्रदर्शन, और अन्य मनोरंजन गतिविधियाँ शामिल होंगी। हमारा उद्देश्य है कि यह महोत्सव भीलवाड़ा जिले के लोगों के लिए एक यादगार और आनंददायक अनुभव हो। बैठक में एडीएम प्रशासन ओपी मेहरा, यूआईटी सचिव ललित गोयल, डीआईजी स्टाम्प मोहम्मद ताहिर, उपखंड अधिकारी दिव्यराज चुंडावत, जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक केके मीणा, क्षेत्रीय अधिकारी दीपक धनेटवाल सहित अन्य अधिकारी एवं एनजीओ उपस्थित रहे।

महिला सुधार गृह का किया निरीक्षण

अजमेर, (कासं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सचिव महेन्द्र कुमार ढ़ाबी एवं कारागृहों मे निरूद्ध पुराने बंदी एवं असाध्य रोगों से पीड़ित बंदीयों के लिए नवगठित समिति द्वारा केन्द्रीय कारागृह एवं महिला सुधार गृह अजमेर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा विजिटर्स कमरे की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, बैरकों की सफाई रसोई की सफाई व्यवस्था, पीने के साफ पानी की व्यवस्था, शौचालयों, स्नानागारों की सफाई एवं रखरखाव एवं सीवरेज सफाई की स्थिति का जायजा लिया गया। साथ ही कारागृहों मे निरूद्ध पुराने बंदी एवं असाध्य रोगों से पीड़ित बंदीयों के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी जानकारी प्राप्त की। वर्तमान में कारागृह में कुल 1099 बंदी एवं महिला जेल में 37 महिला बंदी मौजूद हैं। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक आर अनंतेश्वरन, महिला जेलर हिना खान एवं विधि महाविद्यालय के इन्टर्न भी उपस्थित रहें।

स्टोन टेक्नोलॉजी पर इंटरनेशनल सेमिनार कल किशनगढ़ में शुरू

- स्टोन के मूल्यवर्धित उत्पादों की नई मशीनरी और तकनीक पर होगी चर्चा

जयपुर ।भारत में स्टोन उद्योग के विकास के लिए काम करने वाली संस्था ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम (जीएसटीएफ) की ओर से आयोजित दो दिवसीय इंटरनेशनल सेमिनार कल से किशनगढ़ में शुरू होगा।लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष और सेमिनार केसं योजक नटवरलाल अजमेरा ने बताया कि सेमिनार का आयोजन 9 से 10 जनवरी तक मार्बल एसोसिएशन ऑडिटोरियम में किया जाएगा।

सेमिनार के पहले दिन तीन तकनीकी सत्रों में बदलती तकनीक में स्टोन उद्योग में हो रहे नवाचारों पर 11 विशेषज्ञ अपनी प्रेजेंटेशन देंगे, जिसमें इटली के 3 स्टोन विशेषज्ञ भी शामिल होंगे।प्रथम सत्र का विषय है मूल्य सृजन में नवाचार: पत्थर उद्योग के अपशिष्ट को अवसरों में बदलना, जिसमें राजेश शर्मा वरिष्ठ वैज्ञानिक, सीबीआरआई, रुड़की पत्थर अपशिष्ट उपयोग और उन्नत सामग्री विकास में सतत प्रौद्योगिकी नवाचारों पर तथा डॉ. रवींद्र नागर प्रोफेसर, एमएनआईटी पत्थर काटने के अपशिष्ट का टिकाऊ निर्माण सामग्री के उत्पादन में उपयोग पर प्रस्तुति देंगे।

दूसरा सत्र पत्थर प्रसंस्करण में उन्नत प्रौद्योगिकी: भविष्य के लिए उपकरण पर केंद्रित होगा। इस सत्र में तीन अंतरराष्ट्रीय पत्थर विशेषज्ञ अपनी प्रस्तुति देंगे, जिनमें सैम जावदी, वरिष्ठ प्रतिनिधि, पेड्रिनी, इटली पत्थर प्रसंस्करण में नवाचार- रोबोटिक लाइन, मल्टी वायर माइक्रोवेव रेजिन लाइन और इसके फायदे, पिएरो बेटिनी, कंसलटेंट, इटली आयाम पत्थर की संभावना और विकास पर तथा इमैनुअल डी. वॉकर बिजनेस हेड, दक्षिण एशिया, सेलेनीज़ नवीनतम सतह परिष्करण और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी पर शोधपरक प्रस्तुति देंगे।

इसी तरह, तीसरा सत्र वैश्विक विकास: निर्यात संवर्धन, नीतियां और पत्थर उद्योग में कौशल थीम पर आधारित है। राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद के महाप्रबंधक पंकज राव निर्यात संवर्धन के लिए सरकारी पहलों पर, निर्यात ऋण गारंटी निगम लिमिटेड के शाखा प्रबंधक आदित्य सिंह ईसीजीसी: ऋण जोखिम न्यूनीकरण के माध्यम से निर्यात बढ़ाना, राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग की संयुक्त आयुक्त शिल्पा गोखरू रिप्स-2024 के लाभ और मुख्य विशेषताओं पर तथा एनएसडीसी के पश्चिम क्षेत्रीय प्रमुख मोहम्मद कलाम कौशल पहलों पर बात करेंगे।

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

मूल आवंटी/अन्तरिति की मूल दस्तावेज गुज हो जाने पर फ्री होल्ड पट्टा जारी करने के क्रम आम सूचना का प्रारूप

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर की हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर में आवासगृह संख्या 267, श्री उमेश चन्द्र पुत्र श्री मदनलाल को आवंटित किया गया। जिसका पट्टा क्रमांक 1432 दिनांक 18.02.2011 को जारी किया गया। उक्त आवासगृह का बेचान जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दशरथ कुमार सैन पुत्र श्री सुगनचन्द सैन एवं श्रीमती अनिता सैन पत्नी श्री दशरथ कुमार सैन को कर दिया है। श्री दशरथ कुमार सैन पुत्र श्री सुगनचन्द सैन एवं श्रीमती अनिता सैन पत्नी श्री दशरथ कुमार सैन द्वारा शपथ पत्र व गुमशुदगी रिर्पोट प्रस्तुत कर अवगत कराया की मूल पट्टा/लिंक दस्तावेज गुम हो गये है। अतः आवासगृह संख्या 267, हरिभाऊ उपाध्याय नगर अजमेर, का फ्री होल्ड पट्टा श्री दशरथ कुमार सैन पुत्र श्री सुगनचन्द सैन एवं श्रीमती अनिता सैन पत्नी श्री दशरथ कुमार सैन को जारी किये जाने से किसी को कोई आपति हो तो 7 दिवस के भीतर अपनी आपति प्रस्तुत कर देवे। उक्त नियत अवधि के पश्चात् आपत्ति स्वीकार नही होगी फ्री होल्ड का पट्टा जारी कर दिया जायेगा।

योजना प्रभारी अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

कार्यालय नगर निगम, अजमेर

क्रमांक- न.नि.अ/24-25/भवन/726 — दिनांक: 8-1-25

आपति सूचना

श्रीमति राखी टोनी पत्नि श्री श्रवण कुमार टोनी निवासी 33/10 यू.आई.टी. कॉलोनी सामगंज अजमेर द्वारा एक सम्पति जिस पर ए.एम.सी. नं. 7/7897 / 780, 14/86 जो कि वार्के नाथ मौहल्ला ठठेरा चौक डिग्गी बाजार अजमेर में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 39.98 वर्गमीटर है। भूमि के वर्तमान मास्टर प्लान 2033 के अनुसार व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में इस कार्यालय आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हैं। प्रस्तावित भू-भाग की सीमाएँ निम्नानसार हैं।

पूर्व - सम्पति ए.एम.सी नं. 14/70 — पश्चिम - सीसी रोड आम रास्ता
उत्तर - सम्पति ए.एम.सी. नं. 14/67 — दक्षिण - सम्पति ए.एम.सी. नं. 14/69

अतः जरिए इस सूचना के पूर्व सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति/संस्था को इस संबंध में कोई आपति हो तो इस सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर-अन्दर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में ठोस दस्तावेजों सहित अपनी आपति प्रस्तुत कर सकता हैं। बाद मियाद किसी भी आपति पर विचार नहीं किया जायेगा।

उपायुक्त नगर निगम, अजमेर

कार्यालय नगर पालिका बिजयनगर जिला ब्यावर राज.

गांधी उद्यान-ब्यावर रोड, बिजयनगर
टेलीफोन नम्बर - 01462-230051 — ई-मेल:- npvijaynagar@gmail.com

क्रमांक/नपाबि./भूमि/2025/4954 — आपति सूचना — दिनांक: 8/1/2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि पालिका/पैराफेरी क्षेत्र में निम्न आवेदक द्वारा अपने भूखण्डों/मकानों के पास स्थित अधिक/खांचा भूमि के नियमन करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। यदि इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को आपति हो तो अपनी आपति सूचना जारी होने की तिथि से 7 योग में नगरपालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। समय उपरान्त प्राप्त आपति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

क्र.सं.	नाम आवेदक	क्षेत्र	क्षेत्रफल
1.	श्रीमती आशा शम्भवानी पत्नी श्री वासुदेव शम्भवानी	बजरंग कॉलोनी बरल द्वितीय के खसरा नम्बर 812, 813 में भूखण्ड संख्या 02 का भाग प्रा.नं. 02ई के दक्षिण दिशा की ओर स्थित खांचा भूमि।	64.76 वर्गगज

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा जिला-भीलवाडा (राज0)

प्ररूप-10 नियम 6 (7) देखिए
प्राधिकृत अधिकारी का कार्यालय नगरपालिका गुलाबपुरा

सं. : 1633-37 — दिनांक : 07/1/2025

लोक सूचना

आवेदकगण श्री विपिन मेहता पुत्र श्री विनोद कुमार मेहता निवासी गुलाबपुरा जिला भीलवाडा इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित	तहसील का नाम	ग्राम का नाम खसरा सं.	क्षेत्र
राजस्व ग्राम गुलाबपुरा - द्वितीय	हुरड़ा	राजस्व ग्राम गुलाबपुरा-द्वितीय के खसरा संख्या-5496/5486, 5511/5485, 5494/54845509/5483	कुल क्षेत्रफल 0.2126 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी को आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तद्नुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 07/1/2025 को जारी की गयी।

प्राधिकारी अधिकारी एवं अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका बिजयनगर

कार्यालय नगर परिषद् पुष्कर (अजमेर)

क्रमांक/न.पा.बि./भूमि/2024/3465 — दिनांक : 08-01-2025

लोक सूचना

आवेदक श्री हरजी राम पुत्र श्री रामुराम कड़वा, शिव विहार कॉलोनी गोविन्दगढ रोड गनाहेडा पुष्कर ने इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का गैर-कृषि प्रयोजन (व्यवसायिक प्रयोजनार्थ) के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्

जिले सहित तहसील का नाम	राजस्व ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्र
पुष्कर जिला अजमेर	गनाहेडा तहसील पुष्कर	खसरा नं 3322/1657 गनाहेडा पुष्कर	क्षेत्रफल 1133 वर्गमीटर

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों को साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप को अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक .....को जारी की गयी।

आयुक्त नगर परिषद पुष्कर

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./PWC/BPAS-2005/2025/56 — आम सूचना — दिनांक: 08/01/2025

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि श्री मनोहर लाल खटीक पुत्र श्री मगन लाल खटीक ग्राम सावंतसर, खसरा संख्या 502/30 के भूखण्ड सं. का कुल क्षेत्रफल 245.05 वर्गगज 'मेहनत नगर' जयपुर रोड मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान पर आवासीय निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में : श्री बजरंग लाल खटीक का मकान — पश्चिम में : श्री मेहराम बलाई का मकान
उत्तर मे : श्री मदन लाल बागरिया का मकान — दक्षिण में : 20 फीट का रास्ता

अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -प्रभारी (भवन निर्माण स्वीकृति) नगर परिषद, किशनगढ़

कार्यालय नगर परिषद किशनगढ (अजमेर) राज.

क्रमांक: न.प.कि./PWC/BPAS-2230/2025/52 — आम सूचना — दिनांक: 08/01/2025

सर्व साधारण सूचित किया जाता है कि श्रीमती पूजा सामरिया पनि योगेश कुमार ग्राम मदनगंज, खसरा संख्या 349 के भूखण्ड सं. ए-10 का कुल क्षेत्रफल 125.00 वर्गगज 'श्री विद्या सागर विहार कॉलोनी' कृष्णापुरी रेल्वे फाटक के बाहर मदनगंज किशनगढ जिला अजमेर राजस्थान पर आवासीय निर्माण स्वीकृति चाहने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड की सीमाएं निम्नानुसार है-

पूर्व में : ब्लॉक ए का आवासीय भूखण्ड सं. ए-17 — पश्चिम में : 30 फीट चौडा रास्ता
उत्तर मे : ब्लॉक ए का आवासीय भूखण्ड सं. ए-09 — दक्षिण में : ब्लॉक ए का आवासीय भूखण्ड सं. ए-11
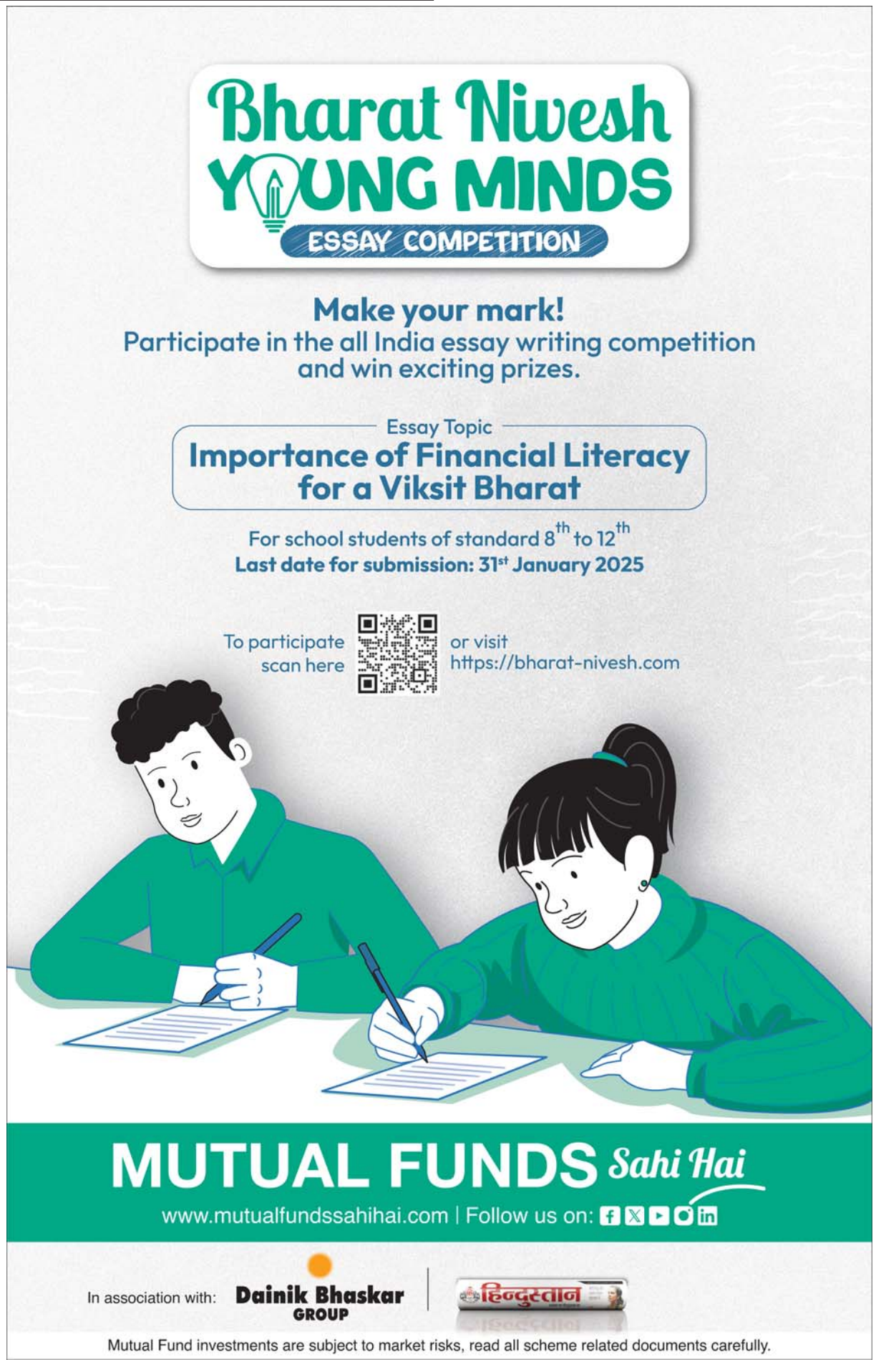
अतः उक्त प्रकरण में किसी भी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति/एतराज हो तो आपत्ति सूचना प्रकाशन के 07 दिवस के भीतर नगर परिषद कार्यालय में लिखित में आपत्ति पेश करे बाद मियाद किसी प्रकार की आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं होगी। -प्रभारी (भवन निर्माण स्वीकृति) नगर परिषद, किशनगढ़